सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य
जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: गु0वि0-- अकादमिक संसाधन समूह गठन /3866/2011-12 दि003नवम्बर, 2011

विषय: अकादमिक संसाधन समूह के गठन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-642 दिनाँक 26-06-2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समस्त शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन, अनुश्रवण, अनुसमर्थन, मूल्यांकन, शोध अध्ययन तथा भविष्य की कार्ययोजना विकास में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सहयोग प्रदान करने हेतु "अकादमिक संसाधन समूह" का गठन करने के संबंध में है।

आप अवगत हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने से हमारी प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था के समक्ष गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि विविध मंचों और माध्यमों से शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर विद्यालयों एवं कक्षा के वातावरण में अपेक्षित परिवर्तन लाये जायें।

उक्त संबंध में आवश्यक है कि प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में संचालित विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण व अनुसमर्थन, शोध अध्ययन एवं मूल्यांकन की रणनीतियों के निर्धारण तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं के विकास में

दूरभाष : [illegible], 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780990, 2781316 ई-मेल : [illegible]

सहयोग के लिए अविलम्ब जनपद स्तर पर "अकादमिक संसाधन समूह" क्रियाशील किये जायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या– 642 दिनांक 26–06–2004 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार "अकादमिक संसाधन समूह" का गठन एवं कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गु0वि0– अकादमिक संसाधन समूह गठन /3866/2011–12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।

(भगवती सिंह)
वरिष्ठ विशेषज्ञ

संख्या: 642 दिनाँक 26/06/2005

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं तत्सम्बन्धी शोधकार्य एवं स्थानीय उपयोगी साहित्य की संरचना हेतु जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। जनपद में समस्त शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन, अनुश्रवण तथा भविष्य की कार्ययोजना एवं मूल्यांकन, अध्ययन आदि के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 280/15 (11)/98 दिनांक 1 अप्रैल 1998 को निर्गत किया गया था। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन डायट द्वारा किया जाना है। अतः उपर्युक्त शासनादेश संख्या 280/15 (11)/98 दिनांक 1 अप्रैल 1998 के सापेक्ष प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हेतु 'अकादमिक संसाधन समूह' का गठन निम्नवत प्रस्तुत है।

अकादमिक संसाधन समूह के सदस्य की सूची निम्नवत है—

अकादमिक संसाधन समूह के सदस्य

1	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	अध्यक्ष
2	मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) (अपने मण्डल के सभी जनपदों में क्रम से प्रतिभाग करें)	सदस्य
3	उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	उपाध्यक्ष
4	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	दो शिक्षाविद्— एक सदस्य जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना द्वारा नामित, एक सदस्य प्राचार्य डायट द्वारा नामित	सदस्य
6	स्वैच्छिक संस्था का एक सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
7	छः शिक्षक • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित (तीन शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय के, जिसमें एक प्रधान अध्यापक, एक सहायक अध्यापक व महिला प्रधान अध्यापिका /सहायक अध्यापिका) • प्राचार्य डायट द्वारा नामित (तीन प्राथमिक विद्यालय	सदस्य

	के अध्यापक, जिसमें एक प्रधान अध्यापक, एक सहायक अध्यापक एवं महिला प्रधान अध्यापिका /सहायक अध्यापिका) पूरे सत्र के लिए	
8	प्राचार्य डायट द्वारा नामित दो सदस्य बिकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक, (अकारादि क्रम से पूरे सत्र के लिये 'अ' से प्रारम्भ करते हुये)	सदस्य
9	प्राचार्य डायट द्वारा नामित दो सदस्य न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक पूरे सत्र के लिए (अकारादि क्रम से 'ज्ञ' से घटते हुये क्रम में)	सदस्य
10	समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित क्षेत्र विशेष– सामुदायिक सहभागिता, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के विशेषज्ञ	सदस्य
11	वरिष्ठ प्रवक्ता , डायट प्राचार्य द्वारा नामित	सदस्य –सचिव
12	जिला समन्वयक–सामुदायिक सहभागिता, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण	सदस्य
13	प्राचार्य डायट द्वारा नामित दो बी.टी.सी. छात्र शिक्षक (एक छात्र, एक छात्रा)	सदस्य
14	राज्य संसाधन समूह का दो सदस्य, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित	सदस्य

<u>अकादमिक संसाधन समूह समिति के दायित्व एवं कार्य</u>

- प्रशिक्षण (सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण / शिक्षा मित्र/आचार्य/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/ग्रामशिक्षा समिति/वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक/शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अधिकर्मियों का प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण) का आयोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रणनीतियां निर्धारण एवं क्रियान्वयन।
- स्थानीय/जनपद आधारित पाठ्येत्तर/अनुपूरक साहित्य की संरचना, संकल्प एवं आवश्यकतानुसार उनका प्रकाशन एवं उनका प्रयोग तथा जनपद की आवश्यकता/शैक्षिक समस्याओं के अनुरूप, क्रियात्मक शोध सम्पन्न कराया जाना।
- बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 से आने वाले शैक्षिक समस्याओं का संकलन विश्लेषण एवं उनका क्रियान्वयन
- बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 की मासिक कार्ययोजना का अनुमोदन करना, मासिक समीक्षा बैठकों के लिये निर्देश निर्गत करना, उनकी गतिविधियों का अनुश्रवण करना एवं प्रत्येक समिति सदस्य के लिये अनुश्रवण की कार्ययोजना सुनिश्चित करना।

- शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण सृजन, साफ्टवेयर की संरचना, सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों / गतिविधियों के आयोजन हेतु कार्ययोजना निर्माण का निर्धारण एवं नियमित अनुश्रवण।
- संदर्शिका आधारित विषयवार / पाठवार सहायक सामग्री का निर्माण एवं कक्षाकक्ष में सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण के अनुभवों के आधार पर सेमिनार/वर्कशाप/प्रशिक्षण/क्रियात्मक शोध के प्रोजेक्ट निर्मित करना एवं SCERT व राज्य परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करना।
- BTC के छात्र–अध्यापक/छात्रा–अध्यापिका के एक माह के अभ्यास शिक्षण के मध्य पाई जाने वाली शैक्षिक कठिनाइयों एवं समस्याओं पर प्रोजेक्ट निर्मित कराना एवं भविष्य की शैक्षिक कार्ययोजना सुनिश्चित करना।
- विद्यालय श्रेणीकरण के अनुश्रवण एवं सुधार कार्यक्रम को सुनिश्चित करना।

समिति की बैठक

- अकादमिक संसाधन समूह की मासिक बैठक प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पदेन अध्यक्ष अकादमिक संसाधन समूह के अध्यक्षता में होगी।
- प्रत्येक जनवरी एवं अगस्त माह में उपर्युक्त ए0आर0जी0 समिति की बैठक जिलाधिकारी/ अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्षता में होगी जिसमें पिछली बैठकों की प्रगति प्रस्तुत करने का दायित्व प्राचार्य डायट का होगा एवं आगामी कार्ययोजनाओं का निर्धारण भी प्रस्तुत करना होगा।

अध्यक्ष के कार्य

- हर माह की 15 तारीख को नियमित रुप से समिति की बैठकों का आयोजन करना तथा जनवरी एवं अगस्त माह में जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्षता में बैठक सुनिश्चित कराना। 15 तारीख को राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में बैठक के लिये अगले कार्य दिवस की तिथि निर्धारित करना।
- बैठक के एजेण्डा एवं कार्यवृत्त को निर्गत एवं वितरण करना।

सचिव के कार्य

- अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के आयोजन की सूचना प्रेषित करना।
- प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कर अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना एवं सदस्यों को प्रेषित करना।
- बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

- बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों से प्राप्त क्रियात्मक शोध के प्रोजेक्ट में से प्राथमिकता के अनुसार चयन करके अगली बैठक में प्रस्तुत करना एवं क्रियान्वयन की कार्यवाही करना।

यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय

- समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु शासकीय कर्मचारी/अधिकारी अपने विभाग से यात्रा भत्ता आहरित करेंगे।
- अशासकीय सदस्यों को, सम्बन्धित डायट द्वारा वित्तीय नियमानुसार यात्रा भत्ता देयक निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करने पर, देय होगा।
- समिति की बैठक का आनुषांगिक व्यय का वहन सम्बन्धित डायट द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

राज्य स्तरीय कार्यवाही

- सचिव (बेसिक शिक्षा) की अध्यक्षता में राज्य परियोजना निदेशक, निदेशक (SCERT), शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा डायट के प्राचार्यों की फरवरी एवं सितम्बर में संयुक्त रुप से बैठक होगी। बैठक में अकादमिक संसाधन समूह को प्रभावी बनाने तथा उनके शैक्षिक कार्य /गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी।
- बैठक का आयोजन निदेशक SCERT द्वारा किया जायेगा।

नीरा यादव
प्रमुख सचिव, शिक्षा एवं
उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
उत्तर प्रदेश शासन।